कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री शिव कुमार अग्रवाल, महामन्त्री, बूरा कुटीर उद्योग संघ, शहीद भगत सिंह द्वार, आगरा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**296 / 08, 02.06.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री शिव कुमार अग्रवाल, महामन्त्री, बूरा कुटीर उद्योग संघ, शहीद भगत सिंह द्वार, आगरा द्वारा दिनांक 02.06.2008 को उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा सहायता केन्द्रों पर रु0 450=00 प्रति मैट्रिक टन की दर से प्रवेश कर वसूला जा रहा है, जबकि चीनी पर प्रवेश कर की दर 2% है। अत: प्रवेश कर का दायित्व कितना होगा ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 22.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा द्वारा पत्र संख्या-1013, दिनांक 23.06.2008 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा वस्तु की दर के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है, इसलिए कोई रिपोर्ट देना सम्भव नहीं है, जिस पर आख्या देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत प्रार्थी-बूरा कुटीर उद्योग संघ, शहीद भगत सिंह द्वार, आगरा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं कर रही है और न ही किसी प्रकार से यथा-पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। संघ निश्चित रूप से विधिक व्यक्ति (Legal person) हो सकता है, परन्तु जब तक person or dealer concerned in U.P. VAT Act न हो तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है। चूँकि प्रश्नगत संघ person or dealer concerned नहीं है अत: वह प्रश्न नहीं पूछ सकता है। प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी गयी है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

....2

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी, धारा 72 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो निर्धारित किये जायें, कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

इस प्राविधान से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी-बूरा कुटीर उद्योग संघ, शहीद भगत सिंह द्वार, आगरा द्वारा स्वयं में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त संघ प्रश्न नहीं पूछ सकता है, इसलिए धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 02 सितम्बर, 2013

ह0 / 02.09.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ।